राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक :– विपणन–3/ए0एम0एच0–288/(2021–22)/2021– 580 दिनांक :14.12.2021

1. समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)
   मण्डी परिषद उ0प्र0।
2. समस्त सचिव,
   कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ उ0प्र0।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन से निर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 के पत्र संख्या–10/2021/166/अस्सी–2–2021–600(2)/2008 टी0सी0 दिनांक 01.12.2021 प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब की दुकानों/गोदामों के आवंटन के सम्बन्ध में सहकारिता विभाग एवं मण्डी परिषद के भध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–8/2016/346/अस्सी–2–2016–600(2)/2008 टी0सी0 दिनांक 12.05.2016 के सदर्भ में निम्नवत् शासनादेश निर्गत किया गया है:–

2. 13 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान एवं मण्डी परिषद द्वारा अपने श्रोतों से धनराशि व्यय कर मुख्यतः सहकारिता विभाग सहित कुछ अन्य विभागों की भूमि पर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब (ए0एम0एच0) विकसित किये गये है।

3. उपरोक्त का कियान्वयन/कृषि विपणन यार्डो की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या–1641/80–1–2010–31–2010, दिनांक 24.09.2010 निर्गत किया गया, जिसके साथ संलग्न परिशिष्ट–2 में विभिन्न विभागों/उपक्रमों एवं निगमों की भूमि लिए जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2(4) में विभागों/उपक्रमों से मण्डी समितियों द्वारा समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) कर लिए जाने के निर्देश दिये गये। तद्क्रम में शासनादेश संख्या–788/80–1–2011, दिनांक 12.05.2011 द्वारा निर्गत समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के आधार पर अन्य विभागों सहित सहकारिता विभाग की भूमि पर मण्डी समिति व स्थानीय कृषि सहकारी समिति के बीच समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) सम्पादित किया गया, जिसके प्रस्तर–8 में आय के बंटवारे के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था प्राविधानित की गयी:–

"यह है कि प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मण्डी परिसर के एवज में उक्त स्थल पर प्राप्त मण्डी शुल्क की धनराशि का 25 प्रतिशत अंश तथा मण्डी परिसर में निर्मित किये गये परिसम्पतियों यथा–दुकान/गोदाम आदि से प्राप्त होने वाले किरायें की समस्त आय का भुगतान किराये के तौर पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को किया जायेगा अर्थात किराये की धनराशि का आगणन निम्न प्रकार किया जायेगा:–

किराया=मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत धनराशि + मण्डी परिसर में निर्मित दुकान/गोदाम आदि से प्राप्त किराए की धनराशि।"

4. शासनादेश संख्या–1156/अस्सी–2–2013–600(5)/2013, दिनांक 09.09.2013 द्वारा शासनादेश संख्या–788/80–1–2011, दिनांक 12.05.2011 द्वारा निर्गत समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) की उपर्युक्त शर्त संख्या–8 की व्यवस्था को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया:–

"यह कि प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मण्डी परिसर के एवज में उक्त स्थल पर प्राप्त मण्डी शुल्क की धनराशि का 25 प्रतिशत अंश तथा मण्डी परिसर में निर्मित किये गये परिसम्पत्तियों यथा–दुकान/गोदाम आदि से प्राप्त होने वाले किराये/यूजर चार्जेज की समस्त आय का भुगतान किराये/यूजर चार्जेज के तौर पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को किया जायेगा अर्थात किराये/यूजर चार्जेज की धनराशि का आगणन निम्न प्रकार किया जायेगा:–

किराया/यूजर चार्जेज, मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत धनराशि मण्डी परिसर में निर्मित दुकान/गोदाम आदि से प्राप्त किराये/यूजर चार्जेज की धनराशि।

8.1 किराया/यूजर चार्जेज रू0 100 मात्र की धनराशि प्रति माह देय होगी।

8.2 दुकानों का आवंटन मण्डी समिति द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार नीलामी पद्धति से किया जायेगा तथा

...2

नीलामी से प्राप्त प्रीमियम का 25 प्रतिशत की धनराशि जिस विभाग की भूमि होगी, उस विभाग को देय होगा।

5. इसी आधार पर 13 वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त धनराशि एवं मण्डी परिषद द्वारा स्वयं के श्रोतों से प्राप्त धनराशि से विभिन्न विभागों की भूमि पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब (ए0एम0एच0) विकसित किये गये है।

6. ए0एम0एच0 का कियान्वयन आरम्भ होने पर सहकारिता विभाग के आदेश दिनांक 13.04.2015 द्वारा समझौता ज्ञापन निरस्त कर दिये जाने के कारण शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सहकारिता विभाग के आदेश दिनांक 13.04.2015 को अतिकमित करते हुए शासनादेश संख्या–8/2016/346/अस्सी–2–2016–600(2)/2008टी0सी0, दिनांक 12 मई, 2016 निर्गत किया गया, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये:–

6(1) सहकारिता विभाग अथवा अन्य विभागों की भूमि पर निर्मित किये जा रहे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब की नीलामी सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें सम्बन्धित विभाग/विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मण्डी समिति के सचिव सदस्य संयोजक होंगे।

वर्तमान में मण्डी परिषद की आवंटन नीति के अनुसार निम्नवत आवंटन समिति द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जाती है:–

(i)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष (यदि जिलाधिकारी आवंटन समिति की बैठक में स्वयं भाग न लेकर अपना प्रतिनिधि भेजते है तो सम्बन्धित उप निदेशक (प्रशा0/विप0) आवंटन समिति की अध्यक्षता करेंगे तथा जिलाधिकारी का प्रतिनिधि बैठक में सदस्य के रूप में रहेगा)
(ii)	सम्बन्धित उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद	सदस्य
(iii)	सम्बन्धित उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद	सदस्य
(iv)	सम्बन्धित लेखाधिकारी, मण्डी परिषद	सदस्य
(v)	सभापति (सम्बन्धित मण्डी समिति)	सदस्य
(vi)	सचिव (सम्बन्धित मण्डी समिति)	सदस्य संयोजक

तदनुसार मण्डी परिषद की आवंटन समिति में सहायक निबन्धक (सहकारिता)/ जिला पंचायतराज अधिकारी को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

6(2) एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब के अन्तर्गत निर्मित दुकानों को नीलामी में प्राप्त करने वाले व्यवसायी ए0एम0एच0 में वह व्यवसाय नहीं कर सकेंगे जो सहकारी समितियों के द्वारा किये जा रहे है, यथा–खाद, बीज, कृषि रसायन आदि कृषि निवेशों का व्यवसाय। वस्तुतः उन्हें कृषि उत्पादन के विपणन जैसे कार्य करना अपेक्षित है न कि कृषि निवेशों का।

6(3) नीलामी होने वाली दुकानों के सम्बन्ध में सहकारी समितियों/सम्बन्धित विभागों एवं मण्डी समिति के मध्य किराय, प्रीमियम एवं मण्डी शुल्क का विवरण निम्नवत होगा:–

(क) किराये की समस्त धनराशि सहकारी समितियों/सम्बन्धित विभागों को प्राप्त होगी और उसको सीधे सहकारी समिति/सम्बन्धित विभाग द्वारा दुकानदार से मासिक आधार पर प्राप्त किया जाएगा।

(ख) प्रीमियम से प्राप्त होने वाली धनराशि का 25 प्रतिशत सम्बन्धित संस्था/सम्बन्धित विभाग का होगा। शेष धनराशि (75 प्रतिशत) मण्डी समिति को प्राप्त होगा।

(ग) मण्डी शुल्क की समस्त धनराशि मण्डी समिति को प्राप्त होगी।

(घ) पूर्व में दुकानों की नीलामी से प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत सम्बन्धित संस्था/ सम्बन्धित विभाग को मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(ड़) दुकानों को किराया सम्बन्धित संस्था/सम्बन्धित विभाग द्वारा सीधे प्राप्त किया जायेगा। मण्डी परिषद द्वारा दुकानों के किराये में जो बढोत्तरी समय–समय पर होगी वही आदेश इन एम0एम0एच0 की दुकानों पर भी प्रभावी होगा। इसके कियान्वयन हेतु किराया अनुबन्ध में आवश्यक प्राविधान करा लिया जाएगा।

...3

7– उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 मई,2016 की व्यवस्था पर भी सहकारिता विभाग को आपत्ति थी, जिस कारण सहकारिता एवं मण्डी परिषद के मध्य विद्यमान विवाद के निस्तारण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार शासनादेश दिनांक 12.05.2016 का औचित्य नहीं रह गया है। अतः उक्त शासनादेश संख्या–8/2016/346/अस्सी–2–2016–600(12)/2008 टी0सी0, दिनांक 12 मई,2016 को अवकमित करते हुए निम्नवत् निर्णय लिये गये हैः–

7(1) सहकारिता विभाग की भूमि पर निर्मित दुकानों एवं गोदामों के प्रीमियम एवं किराये की धनराशि सहकारिता विभाग को देय होगी।

7(2) निर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क तथा यूजर चार्ज (गैर अधिसूचित कृषि उत्पाद के क्रय–विक्रय होने पर) का शत् प्रतिशत मण्डी समिति/मण्डी परिषद को देय होगा।

7(3) सहकारिता विभाग की भूमि पर निर्मित एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब (ए0एम0एच0) की अवशेष दुकानों/गोदामों का आवंटन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि आवंटन समिति के सदस्य सचिव होंगे तथा सम्बन्धित मण्डी सचिव समिति के सदस्य होंगे। सदस्य सचिव द्वारा आवंटन की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी। दुकान एवं गोदाम का आवंटन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित मण्डी समिति से लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा।

7(4) सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि "इस योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानो/गोदामों एवं नीलमी चबूतरों का उपयोग कृषि विपणन कार्यो हेतु ही किया जायेगा। किसी अन्य कार्य में इसका उपयोग नही किया जायेगा। यदि कृषि विपणन कार्यो से भिन्न कार्यो में इसका उपयोग पाया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।" इस आशय का उल्लेख आवंटन पत्र/अनुबन्ध पत्र की शर्तो में किया जायेगा।

7(5) समस्त ए0एम0एच0 को उप मण्डी स्थल घोषित किया जाए ताकि मण्डी परिषद को मण्डी शुल्क एवं यूजर चार्ज के रूप में आय प्राप्त हो सके।

7(6) इन ए0एम0एच0 को उप मण्डी स्थल घोषित किये जाने के बाद मण्डी शुल्क उदग्रहण हेतु ए0एम0एच0 में मण्डी समिति के अधिकारी/कर्मचारी को पर्याप्त स्थान एवं सुविधा प्रदान की जाएगी।

7(7) ए0एम0एच0 में सहकारिता विभाग एवं अन्य एजेन्सियों के क्रय केन्द्र खोले जायेंगे। सम्बन्धित जिलाधिकारी/सहकारिता विभाग का यह दायित्व होगा कि वह गेंहूँ, धान, दलहन, तिलहन इत्यादि के क्रय केन्द्रों को खोलने मे इन ए0एम0एच0 को प्राथमिकता देगें। मण्डी समिति इन उप मण्डी स्थलों को यथावश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायेंगी।

7(8) सहकारिता विभाग की भूमि पर निर्मित दुकानों एवं गोदामों मे से अब तक आवंटित की जा चुकी दुकानों एवं गोदामों की पूर्व में प्राप्त प्रीमियम एवं किराये की धनराशि भी मण्डी परिषद द्वारा सहकारिता विभाग को देय होगी। उक्त पूर्व में प्राप्त प्रीमियम एवं किराये की धनराशि का भुगतान मण्डी परिषद द्वारा चार त्रैमासिक किश्तों में सहकारिता विभाग को किया जायेगा।

8. तद्नुसार शासनादेश संख्या–788/80–1–2011–31/2010, दिनांक 12.05.2011 एवं शासनादेश संख्या–1156/अस्सी–2–13–600(5)/2013,दिनांक 09.09.2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

उल्लेखनीय है कि सहकारिता विभाग की भूमि पर निर्मित एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब की दुकानों/गोदामों के आवंटन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.08.2021 को बैठक सम्पन्न हुई थी। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 01.12.2021 द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 15.05.2016 को अवकमित एवं शासनादेश दिनांक 12.05.2011 एवं 09.09.2013 को संशोधित किया गया है।

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 01.12.2021 के अनुपालन में समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद उ0प्र0 एवं समस्त सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ उ0प्र0 को

...4

निम्नवत् कार्यवाही के निर्देश किये जाते हैं:–

1. सहकारिता विभाग की भूमि पर निर्मित ए0एम0एच0 की दुकानों व गोदामों के आवंटन से प्राप्त प्रीमियम व यूजर चार्ज के सापेक्ष सहकारिता विभाग को भुगतान व अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में सम्भागीय कार्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार परिषद मुख्यालय पर उपलब्ध माह नवम्बर,2020 तक की सूचना इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि संलग्न सूचना को अद्यतन करते हुए नीलामी से प्राप्त धनराशि में से सहकारिता विभाग को दी गयी धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि शासनादेश दिनांक 01.12.2021 के प्रस्तर 7.1 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप उपलब्ध करायी जाए।
2. ए0एम0एच0 में निर्मित दुकानों/गोदामों की सूचना 15 दिन के अन्दर सहकारिता विभाग को उपलब्ध करा दी जाए जिससे शासनादेश के प्रस्तर 7.3 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जा सके तथा अब तक आवंटित दुकानों के सापेक्ष आवंटियों को लाईसेन्स निर्गत किया जाए।
3. मण्डी समितियों द्वारा अब तक किये गये आवंटन के सापेक्ष अवशेष धनराशि का आवंटीवार विवरण तैयार कर सूचना सहकारिता विभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जाए।

अतएव मुख्य सचिव महोदय उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 01.12.2021 में प्रस्तर–7.1 लगायत प्रस्तर–8 में वर्णित निर्देशों एवं उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही/अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(अंजनी कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार,उ0प्र0शासन।
2. आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता,उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. वित्त नियंत्रक,मण्डी परिषद,लखनऊ।
5. सिस्टम एनालिस्ट,मण्डी परिषद,मुख्यालय को मण्डी परिषक की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(निधि श्रीवास्तव)
अपर निदेशक (प्रशासन)
14/12/21